जलवायु अनुकूल व पंचायतों के लिए प्रासंगिक पेयजल स्वच्छता (WASH) सुविधाएं

प्रस्तुतकर्ता: सलाथिल नल्ली, यूनिसेफ

जलवायु परिवर्तन क्या है?

- जलवायु परिवर्तन का अर्थ है तापमान और मौसम के प्रतिरूप में दीर्घकालिक बदलाव।
- यह परिवर्तन सौर चक्र में बदलाव जैसे प्राकृतिक कारणों के चलते भी हो सकते हैं ।
- यद्यपि,19वीं सदी से ही जीवाश्म ईंधन - कोयला, तेल और गैस- जलाने जैसी मानवीय गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक रही हैं।

WASH क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

जलवायु प्रभाव	जोखिम	WASH क्षेत्र पर प्रभाव
वर्षा में कमी	सूखा	जलापूर्ति में कमी, नदियों में सीमित प्रवाह, प्रदूषण में वृद्धि, स्वच्छता व्यवहारों में व्यवधान
वर्षा में वृद्धि	बाढ़	कुओं में जलमग्नता और प्रदूषण, जल स्रोतों की दुर्गमता, शौचालय का बाढ़ प्रभावित होना, जलजनित रोग
तापमान में वृद्धि	गर्म तरंगें	पानी की भारी किल्लत, प्रदूषकों की सघनता में वृद्धि
तापमान में वृद्धि	बर्फ का पिघलना	समुद्र के स्तर में वृद्धि, पानी की मौसमी उपलब्धता
समुद्र तल में वृद्धि	बाढ़, खारा प्रभाव	सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में कमी, WASH के बुनियादी ढांचे का जलमग्न होना, पाइप का क्षरण और समुद्री जल प्रवेश से क्षति या विफलता, पेयजल की निम्न गुणवत्ता

WASH क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- अनुमानों के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 0.3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि संभावित है।
- वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ, प्रत्येक वर्ष तटीय बाढ़ से 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं।
- 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ, पानी की उपलब्धता में 50% की कमी हो सकती है।
- विकासशील देशों में, तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से दस्त की घटनाओं में लगभग 5% की वृद्धि होने की संभावना है।

चुनौती

- राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय योजनाओं में जलवायु अनुकूल WASH के दैनिक नियोजन में समाकलन का अभाव ।
- पंचायती राज संस्थाओं में SDG के स्थानीयकरण का अभाव ।
- विभिन्न ग्राम-स्तरीय योजनाओं (GPDP/VAP/VDMP/WSP) के बीच सीमित संरेखण ।
- सभी जिला स्तरीय विभागों द्वारा अभिसरण कार्रवाई का अभाव ।

अवसर

- पंचायती राज मंत्रालय 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' योजना के माध्यम से SDG को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 17 SDGs में से, मंत्रालय ने नौ लक्ष्यों की पहचान की है।
- इसमें शामिल है:
    - लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता)
    - लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई)

जलवायु-अनुकूल जल आपूर्ति

- स्रोत स्थिरता: वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करना, वनीकरण ।
- सोच-समझकर पानी का उपयोग: पेयजल-बजट ।
- पुनर्चक्रण: मूल उपचार और रसोईघर और स्नानागार से बहने वाला अपशिष्ट जल पानी का पुन: उपयोग ।
- जल अवसंरचना:
  - जल नेटवर्क एक्सटेंशन में उच्च गुणवत्ता वाले एचडीपीई पीई100 पाइप का उपयोग करना
  - पानी की टंकी का आधार ऊंचा करें और पीने योग्य टैंकों को स्थानांतरित करें।
  - पानी पंप-स्टेशन को बाढ़-स्तर से ऊपर उठाएं ।
  - वेल-केसिंग और वेंट का विस्तार बाढ़ के पानी की ऊंचाई से ऊपर करें। वेल कैप्स को वाटरप्रूफ करें।
  - निचले इलाकों में नलकूपों/हैंडपंपों/नलों का प्लेटफार्म ऊंचा करें।
- पंचायती राज सदस्यों और ग्राम स्तरीय समितियों को प्रशिक्षित करें:
  - जलापूर्ति की दिशा में बड़ी और छोटी मरम्मत।
  - सोख्ता गड्ढों और वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण।

जलवायु- अनुकूल स्वच्छता

- बाढ़ संभावित क्षेत्रों में शौचालय सुपर स्ट्रक्चर के चबूतरे की ऊंचाई 600 मिमी (~2 फीट) से अधिक बढ़ाना ।
- लीच-पिट लाइनिंग को जमीनी स्तर से 600 मिमी से 900 मिमी (~ 2-3 फीट) ऊपर उठाना ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लीचेट मिट्टी की सतह में लीक न हो, जमीनी स्तर से ऊपर के गड्ढे की परत को प्लास्टर करें (अंदर और बाहरी दोनों) ।
- चक्रवात से सुरक्षा के लिए छत के पैनल को स्टील फ्रेम से जोड़ने के लिए जे-हुक का उपयोग करें ।
- एक खड़ी ढलान वाले ग्रामीण पैन के उपयोग से आसान जल निकासी और थोड़े से पानी (1 से 1.5 लीटर) के साथ सफाई ।
- युवाओं और स्थानीय राजमिस्त्रियों को स्वच्छता प्रणाली में मामूली संशोधन करने के लिए प्रशिक्षित करना ताकि इसे जलवायु अनुकूल बनाया जा सके।

धन्यवाद